न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 24/2019 **दायरा दिनांक : 01.04.2019**

उनवान

मन्जू बाई पुत्री आशाराम, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– आशाराम आत्मज मोरपाल, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– केसर बाई पुत्री मोरपाल पत्नी प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी सुवांसरा (एम. पी.)

3– शांति बाई पुत्री मोरपाल पत्नी ओमप्रकाश, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– मनभर बाई पुत्री मोरपाल पत्नी देवीलाल, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– रेखा बाई पुत्री रतनलाल, जाति मीणा, निवासी भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 104/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आगामी कार्यवाही जवाबदावे के लिये विचाराधीन थी, परन्तु पक्षकारान की बिना सहमति प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य व सुनवायी का अवसर दिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में वाद खारिज कर दिया जो कानूनी प्रावधानों एवं लोक अदालत की भावना के पूर्णतया विपरीत है । बिना सहमति या बिना राजीनामा पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रकरण का मेरिट पर निर्णय करना लोक अदालत की भावना के पूर्णतया विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सिविल प्रक्रिया के पूर्णतया विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह पक्षकारान को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जवाबदावा साक्ष्य लेकर तनकीयात कायम करते हुए प्रकरण का पुनः निस्तारण करें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.02.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिमान्य है, जिसमें कोई हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा